(383)

संख्या-313/XVIII(II)/2011

प्रेषक,

पी.सी.शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त,
गढवाल/कुमाऊ मण्डल,
पौड़ी/नैनीताल।
3 समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक23 दिसम्बर, 2011

विषय :– राजस्व वादों के निस्तारण में गति लाने के उददेश्य से पीठासीन अधिकारियों/सक्षम प्राधिकारियों के लिए दिशा निर्देश गठित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व न्यायालयों में जनता की भूमि व संपत्ति से जुडे विभिन्न वाद निस्तारित किये जाते हैं। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतया राजस्व न्यायालयों में अधिक वाद नहीं हैं। किन्तु मैदानी क्षेत्रों में एवं जहां व्यवसायिक प्रगति अधिक है वहां पर राजस्व वादों में काफी वृद्वि हुई है। पीठासीन अधिकारियों द्वारा यद्यपि और भी कई तरह के कार्य यथा विकास कार्यों का अनुश्रवण, प्रोटोकाल, आपदा आदि किये जाते हैं तथापि राजस्व वादों का समयबद्व निस्तारण उनका मौलिक उत्तरदायित्व है।

2– वर्तमान में राज्य में समस्त राजस्व न्यायालयों में लगभग 40,852 राजस्ववाद लम्बित है। एक माह में लगभग 7 हजार नए वाद प्रस्तुत किये जा रहें है जिनके सापेक्ष एक माह में लगभग छह हजार वादों का निस्तारण हो रहा है। इस प्रकार पूर्व से लम्बित वादों एवं नये वादों के आने से लम्बित वादों की संख्या बढ़ती जा रही है।

3– राजस्व विभाग/राजस्व न्यायालयों में कई मामले अनावश्यक लम्बित रहतें है जो जनहित में नहीं है। विधिक प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाने के उपरांत उन पर अमल की कार्यवाही समयबद्व आधार पर होनी चाहिए एवं विधिक प्रक्रियाओं को भी समयबद्व आधार पर पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से राजस्व विभाग/राजस्व न्यायालयों के अधीन निम्न महत्वपूर्ण विषयों को भी निम्न विवरणानुसार समयबद्व आधार पर निस्तारित किया जाना चाहिए–

				अपील/रिट याचिका यदि कोई हो तो उनकी अवधि छोड कर)
14	अनुसूचित/आदिम जन जाति के सदस्य द्वारा धृत भूमि के अप्राधिकृत अध्यासियों को बेदखल करने की कार्यवाही	धारा 211, जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम	परगनाधिकारी/सहा. कलेक्टर	03 माह
	प्रत्येक खातेदार का पृथक खाता तैयार करना	धारा 33, भू राजस्व अधिनियम	कानूनगो/नायब तहसीलदार/नायब तहसीलदार	सर्वेक्षण सक्रियाएं पूर्ण होने के 15 दिन के भीतर

कृपया उपरोक्तानुसार विभिन्न वादों के समयबद्व निस्तारण एवं इनके नियमित अनुश्रवण हेतु सभी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें एवं इस संदर्भ में हुई प्रगति से पूर्व व्यवस्था के अनुरूप शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी.सी.शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृ0प0सं0-3131 **समदिनांकित/2011**
प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महानिदेशक, सूचना निदेशालय, 12 ई.सी.रोड़ देहरादून।
4. प्रभारी मीडिया सेण्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव